न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (**RAS**)

प्रार्थना–पत्र संख्या 33/2023 गत नं. 383/2021 **RCMS 2021/455** गत नं. **GCMS 2023/74**

प्रार्थी

1. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल जाति महाजन निवासी राम–लक्ष्मण कॉलोनी नावां शहर

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 21-02-2024

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनॉक पारित आदेश दिनॉक 13.04.2022 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहॉ की गई। जो अपील एल.आर.संख्या 215/2022/जिला–नागौर दिनेश कुमार बनाम राजस्थान जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2022 अनुसार *" अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनॉक 13.04.2022 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र संख्या 383/2021 बउनवान दिनेश कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस तरमीम से पूर्व राजस्व एजेन्सी से मौके की विधिवत जांच कराई जावें एवं नवीन नक्शा एवं वर्ष 1986–87 में लट्ठा नक्शा से तैयार पुराने नक्शे की जांच करे तथा जिला कलक्टर नागौर द्वारा प्रेषित पत्र दिनॉक 11.10.201 एवं 29.01.2021 में प्रदत्त निर्देशो का भली भांति अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। "*

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:59 IST
Reason: Self Attested

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया। ग्राम ... पटवार मण्डल ...–टोरड़ा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

भू.अ. निरीक्षक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के नामान्तरकरण संख्या 320 दिनॉक 25.03.2009 स्वीकृत विभाजन अनुसार खातेदारान पक्षकारान द्वारा किये जाने पर खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 0.31 हैक्टर सत्यनारायण पुत्र नवरंगलाल अग्रवाला सा. नावां खातेदार दर्ज अंकित है तथा नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 418/294 को मुख्य सड़क से मिलान किया हुआ है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत नक्शा ट्रेस नकल दिनॉक 07.04.09 से भी होती है। सेग्रिगेशन के दौरान उक्त नक्शे में त्रुटि हुई है। नकल खतौनी सम्वत 2068—2071 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 0.31 हैक्टर में बद्रीनारायण अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल सा. नावा खातेदार अंकित है। जमाबंदी नकल सम्वत 2076—2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.उद्योग प्रयोजनाथे, खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.उद्योग प्रयोजनार्थ दिनेश कुमार पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. नावां खातेदार बद्रीनारायण अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. नावां खातेदार अंकित है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में सेग्रिगेशन के दौरान खसरा नम्बर 419/294 रकबा 0.90 हैक्टर में उक्त खसरा नम्बर 418/294 का नजरी नक्शा गलत रूप से मिलान कर दिया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटि दिखाई देती है। तहसीलदार कुचामनसिटी/पटवारी हल्का रूपपुरा—टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनॉक 15.02.2024 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी की राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना उचित है।

उपलब्ध रेकार्ड एवं गत नक्शा ट्रेस दिनॉक 07.04.09 एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस से मिलान करने पर एवं नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त दुरूस्ति न्यायहित में किया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार काबिल होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा—टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 218/294 के नजरी नक्शा को गत नक्शा ट्रेस नकल दिनॉक 07.04.09 अनुसार दुरूस्त किया जावे। नजरी नक्शा दिनॉक 07.04.09 एवं तहसीलदार/पटवारी हल्का रूपपुरा—टोरडा की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनॉक 15.02.2024 आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्ड इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

तरमीम दुरूस्ति पर लागू होंगे। सीमावर्ती खातेदारो को सूचित कर ही तरमीम दुरूस्ति करे। उपरोक्तानुसार दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 21/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 45 दिनॉक :– 21-02-2024

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विषय :– प्रार्थना–पत्र सं 33 / 2023 GCMS No. 2023/74 गत नं. 383 / 2021 GCMS No. 2021/445 दिनेश कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र सं 33 / 2023 GCMS No. 2023/74 गत नं. 383 / 2021 GCMS No. 2021/445 दिनेश कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक आदेश राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ति कर पालना से अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:59 IST
Reason: SelfAttested

Rcs 15/2/24

मौका-रिपोर्ट

आज दिनांक 15/2/2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के मौखिक आदेश दिनांक 15/2/2024 की पालना में ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हे किस्म गै.मु. उद्योग प्रयोजनार्थ व ख.न. 418/292 रकबा 0.27 हे. किस्म गै.मु. उद्योग प्रयोजनार्थ कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.31 हे. जो कि राजस्व रिकार्ड में दिनेश कुमार पुत्र रामदेव हि.1/2 बद्रीनारायण अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल हि 1/2 जाति अग्रवाल सा. नावां खातेदार दर्ज रिकार्ड है। के मौका रिपोर्ट हेतु मौका पर पहुंचा। मौका पर नजरी नक्शा अनुसार ख.न. 292 की पश्चिमी दिशा पर ~~[illegible]~~ ~~दीवार~~ पक्की दीवार निकाल रखी है जो मौका पर की डामर सड़क (मेगा हाईवे) से 16.30 मीटर दूर है। तथा ख.न. 292 में 14x8 = 112 वर्गमीटर में पुराना कच्चा पक्का का मकान बना हुआ है। शेष भूमि खाली है।

नजरी नक्शा

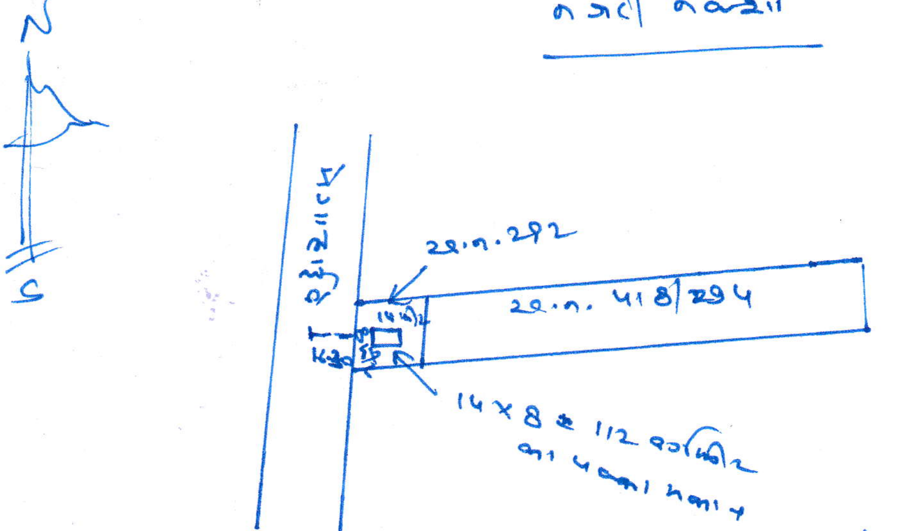

मौका अनुसार मौका रिपोर्ट [illegible] की सेवा में पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:59 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी [illegible]
15/2/2024

15/2/24

तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला-डीडवाना-कुचामन